लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ग्राम खपरी, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट (3X300 एमटी मांउडेड स्टोरेज वेसल्स) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.06.2016 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ग्राम खपरी, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट (3X300 एमटी मांउडेड स्टोरेज वेसल्स) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 15.06.2016 दिन बुधवार को समय दोपहर 12:00 बजे से परियोजना स्थल ग्राम खपरी में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 15.06.2016 को एस.डी.एम. रायपुर श्री बी.एल. गजपाल, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री विभोर सिंह, सी.एस.पी. रायपुर, मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के श्री ए.के. अग्रवाल, प्रोजेक्ट लीडर, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के क्षेत्र के लगभग एक सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:20 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–1 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये एस.डी.एम. महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. एस.डी.एम. श्री बी.एल. गजपाल ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के श्री अंकुश मिश्रा ने परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि यह भारत सरकार का उपक्रम है, इसका उद्देश्य जनसेवा है, न कि निजी लाभ। यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का 50 वां संयंत्र है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्र 25.5 एकड़ है, इस हेतु भूमि सी.एस.आई.डी.सी. से आबंटित की गई है, इस परियोजना से विस्थापन नहीं होगा। सुरक्षा संबंधी प्रचलित एवं विश्वस्तरीय मानकों का पालन किया जायेगा। गैस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि की व्यवस्था होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्थिति के आंकलन हेतु आधारभूत अध्ययन कराये जाने की जानकारी दी गई। प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का बॉटलिंग संयंत्र है, यहां किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं किया जावेगा।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री दीपक शर्मा पिता लल्लन कुमार, ग्राम खपरी ने कहा कि :– यदि आपात काल में संयंत्र में कुछ होता है, तो कंपनी द्वारा क्या प्रावधान है, स्थानीय मजदूरों को क्या सुविधा मिलेगी ? सालिड वेस्ट के लिए क्या प्रबंध करेंगे ?

प्रोजेक्ट लीडर श्री ए.के. अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्लांट के सभी कर्मचारी प्रशिक्षित रहेंगे। सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराई जावेगी। वैसे तो संयंत्र में आपातकाल की स्थिति निर्मित नहीं होगी, फिर भी यदि आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है तो प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। जनित घरेलू ठोस अपशिष्ट को खाद बनाये जाने की जानकारी दी गई।

2 श्री विधनू राम वर्मा, ग्राम रायखेड़ा ने कहा कि :– स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये प्लांट में प्राथमिकता दी जावेगी अथवा नहीं ?

श्री अग्रवाल ने बताया कि भरती नियम के अनुसार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यतानुसार प्लांट में रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

3 श्री खिलावन प्रसाद शर्मा, ग्राम रायखेड़ा ने कहा कि :– गांव में जी.एम.आर. पावर प्लांट है जिसके चलने में रूकावटें आ रही हैं, कहीं इसमें तो रूकावटें नहीं आवेंगी ? सरकार पहले संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, बाद में अड़चने आती है। जीएमआर प्लांट खुलने से बिजली दूसरे क्षेत्रों को दी जा रही है, गांव को नहीं। इस प्लांट के बीचो–बीच रोड आया है, सीएसआर के अनुसार गांव के लिये क्या करेंगे ? रोजगार में किस–किस प्रकार से सहयोग करेंगे ? ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिये। ग्राम पंचायत को कार्यवाही की एक प्रति दी जावे। क्या स्थानीय लोगों को कम रेट पर सिलेण्डर मिलेगा ?

श्री अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य खाली गैस सिलेण्डरों का रि–फिलिंग करना है, ये सिलेण्डर आसपास के गांवों में जायेंगे। इस संयंत्र की तुलना जीएमआर से नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि जीएमआर एक प्राइवेट संस्था है जबकि एलपीजी गैस संयंत्र भारत सरकार का एक उपक्रम है। गैस सिलेण्डर के दर का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है, उज्जवला योजना के तहत जो दर निर्धारित होंगी, उसी के अनुरूप गैस सिलेण्डर स्थानीय ग्रामीणों को दिया जावेगा।

4 श्री पुनाराम पाल वल्द मोतीराम पाल, ग्राम खपरी–बंजारी ने कहा कि :– यह एक सरकारी संस्था है, अतः मजदूरों को सरकारी रेट अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये। अतिरिक्त काम का अतिरिक्त पैसा दिया जाना चाहिये।

श्री अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जावेगा। कम मजदूरी दिये जाने की बात मेरे संज्ञान में अब आई है तो समुचित कार्यवाही करेंगे।

5 श्री रूपेन्द्र कुमार कटारिया ने कहा कि :– गांव के बच्चों की शिक्षा के लिये संयंत्र प्रबंधन क्या सहयोग करेगा ?

श्री अग्रवाल ने बताया कि सीएसआर में बजट प्रावधान के अनुसार पूरा सहयोग किया जावेगा। स्कूली शिक्षा को बढ़ाने में प्लांट पूरा सहयोग करेगा। आसपास के स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जावेगा। प्लांट की ओर से स्वास्थ्य के प्रति भी सहयोग किया जावेगा। हर 15 दिन में एक डॉक्टर की टीम गांव आकर प्लांट के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी, इससे खपरी ग्रामवासी भी लाभान्वित हो सकते हैं। पेयजल उपलब्धता के लिए भी उचित प्रयास किया जावेगा। प्रबंधन द्वारा गांव के एक बोरवेल में पंप की स्थापना की गई है। संयंत्र के बीचो–बीच रोड को तबतक बंद नहीं किया जावेगा, जबतक प्लांट के साईड से प्रस्तावित रोड आवागमन के लायक न बन जाय। इसके लिये वन विभाग से चर्चा चल रही है। अनुमति मिलने पर कार्य किया जावेगा।

6 श्री भोजराम पाल ने कहा कि :– गांव का तालाब सूख गया है, क्या गहरीकरण करेंगे, क्या गांव के स्कूल का विस्तार करेंगे ?

श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया कि गांव के तालाब का गहरीकरण में प्लांट पूरा सहयोग करेगा। तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर तालाब की मिट्टी का प्लांट की भराई में उपयोग किया जावेगा। बीपीसीएल स्कूल के विस्तार में समुचित प्रयास करेगा।

7 श्री राजाराम पाल ने कहा कि :– प्लांट के लिये सीएसईबी से 33 केवीए का कनेक्शन लेंगे तो उससे गांव को बिजली देंगे, क्या ?

श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया कि बजट की सीमा के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

8 श्री गणेशराम यदु ने कहा कि :– बीच का रास्ता बंद होने से स्कूली बच्चों को तकलीफ होगी, इसके लिये क्या करेंगे ? तालाब खनन में एक ही दिन गाड़ी लगाई गई फिर बंद कर दी गई।

श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया कि जब तक गांव के आवागमन के लिये प्लांट के बाजू से प्रस्तावित नई रोड नहीं बन जाती, तब तक प्लांट के बीच की सड़क बंद नहीं की जायेगी। प्रस्तावित नई रोड को सीधा करने का प्रयास जारी है। मांग अनुसार टूटी पुलिया 15 दिनों में ठीक करा ली जावेगी। तालाब खनन की बात संज्ञान में अभी–अभी आई है, तालाब की मिट्टी का सेंपल टेस्ट करने के बाद संयंत्र के उपयोग में लायेंगे। गांव के लोगों को योग्यतानुसा रोजगार में प्राथमिकता देंगे। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था की जावेगी।

9 श्री ठाकुर राम वर्मा, ग्राम रायखेड़ा ने कहा कि :– गैतरा के आश्रित ग्राम खपरी को संयंत्र द्वारा गोद लेकर रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता की ओर ध्यान देने तथा गांव के नवयुवक साथियों को योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराने का आग्रह किया।

श्री अग्रवाल ने परियोजना प्रबंधन द्वारा गांव के विकास में समुचित सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया।

10 श्री मनोज तिवारी, ग्राम खपरी ने कहा कि :– ग्राम खपरी को संयंत्र द्वारा गोद लेकर गांव के विकास तथा मूलभूत सुविधाओं हेतु पृथक से मासिक अथवा वार्षिक कोष निर्धारित करने की मांग की गई।

श्री अग्रवाल द्वारा गांव के विकास एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु परियोजना प्रबंधन द्वारा समुचित सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया गया।

अंत मे एस.डी.एम. रायपुर श्री बी.एल. गजपाल ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि जन सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा जो भी आपत्ति अथवा मांग के रूप में जो भी विचार व्यक्त किये गये हैं, उसकी सम्पूर्ण विडियोग्राफी हुई है, आपकी भावनायें एवं आपके द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियां सक्षम स्तर पर यथावत पहुंचा दी जायेंगी। तत्पश्चात जन सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 12:20 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 01:45 बजे संपन्न हुईं। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(बी.एल. गजपाल)
एस.डी.एम. रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)